

संख्या: 07 / XXVII(7) / 27(V) / 2011

प्रेषक,
राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून: दिनांक: 06 अप्रैल, 2011

विषय:- राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 24-03-2011 से वास्तविक आधार पर संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 877 / XXVII(7) वे0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त लिखित शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2011 के प्रस्तर--1 में उल्लिखित तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैंड--1, ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/- में उच्चीकरण / संशोधन की व्यवस्था के स्थान पर वेतन बैंड--1, ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/- दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक (नॉशनल) आधार पर पुनरीक्षित करते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 24 मार्च, 2011 से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2011 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भंवदीय
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या: 07 (1) / XXVII(7) / 27(V) / 2011 तबदिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, +
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।